राष्ट्रीय सेवा योजना
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर

पत्रांकः 101 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2018–19 दिनांकः 03.02.2019

प्रेषक–

राकेश कुमार यादव
कार्यक्रम समन्वयक(राष्ट्रीय सेवा योजना),
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर–मो0 नं0–9415651269

सेवा में,

प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)
समस्त सम्बन्धित 24 महाविद्यालयों को
प्रेषित

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत नियमित–एक दिवसीय शिविर एवं सात दिवसीय–विशेष शिविर आयोजन हेतु छात्र संख्या (इकाई) आवंटन एवं अति महत्त्वपूर्ण दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में **चतुर्थ** शासनादेश संख्या–आवं.–48 एवं 48(अ) / सत्तर–रा0से0यो0को0–18–21 / 2017, दिनांकः 01 फरवरी, 2019, द्वारा आपके महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत आप द्वारा प्राप्त कराये गये प्रस्ताव / रिपोर्ट / सत्र–2017–18 में गतिविधियों की रिपोर्ट के मूल्यांकन एवं रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त तथा सत्र–2017–18 में स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष में पंजीकृत छात्र संख्या के जांचोपरान्त नियमित कार्यक्रम (एक दिवसीय शिविर) हेतु तथा, नियमित कार्यक्रम हेतु आवंटित छात्र संख्या से ही विशेष शिविर (सात दिवसीय) हेतु छात्र संख्या "जीरो बेस" आवंटन के आधार पर आवंटित किया गया है। नियमित (सामान्य शिविर एक दिवसीय) हेतु आवंटित छात्र संख्या से ही 50 प्रतिशत छात्र विशेष शिविर हेतु आवंटित की गयी है। अलग से विशेष शिविर हेतु संख्या आवंटित नहीं की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

सत्र–2018–19 में पूर्व शासनादेशो के अनुसार आवंटित छात्र संख्या		सत्र–2018–19 में पंचम शासनादेश में आवंटित छात्र संख्या		सत्र–2018–19 में कुल आवंटित छात्र संख्या	
नियमित (एक दिवसीय)	विशेष शिविर (सात दिवीय)	नियमित (एक दिवसीय)	विशेष शिविर (सात दिवीय)	नियमित (एक दिवसीय)	विशेष शिविर (सात दिवीय)

विगत सत्रों में आपको इकाई संचालित किये जाने हेतु अवमुक्त किये गये (सामान्य कार्यक्रम एक दिवसीय शिविर) एवं विशेष शिविर (सात दिवसीय हेतु) अनुदान की सम्परीक्षा भारत सरकार के निर्देशानुसार कराया जाना अनिवार्य है। जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–07 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2018–19, दिनांकः 31.05.2018 द्वारा आपको अवगत कराया जा चुका है। पुनः आपको अवगत कराना है कि सहायक सम्परीक्षा अधिकारी के मोबाईल नं0–8601154785 व 9415896800 पर सम्पर्क करते हुए वार्तानुसार निर्धारित तिथि व समय पर विगत सत्रों में प्राप्त अनुदान जिसकी सम्परीक्षा नहीं हुई है के साथ–साथ सत्र–2017–18 की सम्परीक्षा कराने का कष्ट करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा आवंटित नियमित कार्यक्रम / विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु आवंटित छात्र संख्या से अधिक स्वयंसेवको को कार्यक्रम में शामिल न किया जाय, साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि यह योजना दो वर्षीय है। कृपया प्रारम्भिक सत्र में केवल स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्र / छात्राओं का ही पंजीकरण किया जाय। **पंजीकरण शुल्क पूर्व की भाँति रू0–5.00 प्रति स्वयंसेवक निर्धारित है। समस्त संलग्न प्रारुप पूरित करते हुए पंजीकरण शुल्क बैंक ड्राफ्ट "वित्त अधिकारी, वी0ब0सिह पू0वि0वि0, जौनपुर के नाम सहित दिनांकः 20.01.2019 तक विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।** उक्त तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में कोई प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा यह मान लिया जायेगा कि आप द्वारा इकाई का संचालन सत्र 2018–19 में नहीं किया जायेगा और शासन के निर्देशनुसार आपके महाविद्यालय को आवंटित छात्र संख्या अन्य इच्छुक महाविद्यालयों को आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जायेगा। उक्त समस्त प्रारुप एवं अन्य महत्त्वपूर्ण दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाइट www.vbspu.ac.in पर NSS पोर्टल पर उपलब्ध है। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

.....2 /

छात्र/छात्रा के पंजीकरण के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि भारत सरकार के निर्देशानुसार एन0सी0सी0, रोवर्स/रेंजर्स के छात्र/छात्राओं का पंजीकरण राष्ट्रीय सेवा योजना में न किया जाय। यह नियम अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों के अनुमोदन/नियुक्ति पर भी लागू होगा। कृपया इस नियम के आलोक में ही अंशकालिका कार्यक्रम अधिकारियों के अनुमोदन प्रस्ताव विश्वविद्यालय स्थित रा0से0यो0 कार्यालय को उपलब्ध करायें। अंशकालिक कार्यकम अधिकारियों की नियुक्ति में किसी भी प्रकार के तथ्यगोपन के लिये संबंधित महाविद्यालय जिम्मेदार होगा।

भारत सरकार द्वारा विगत सत्र से सभी भुगतान ऑनलाईन–पब्लिक फाईनेंशियल मैनेजमेंण्ट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से किया गया है। जिसके सम्बन्ध में पुनः आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के बैंक खातें अलग से संचालित नहीं है तो तत्काल संस्था के पते पर प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना) के पद नाम से संयुक्त बैंक खाता सामान्य शिविर एवं विशेष शिविर का अलग–अलग खोलकर खाते का विवरण पास–बुक की सत्यापित छाया प्रति, मूलप्रति के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय को अतिशीघ्र खाते का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 में किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाय। यदि महाविद्यालयों में एक से अधिक इकाई संचालित है वहां राष्ट्रीय सेवा योजना के खाते का संचालन प्राचार्य के साथ वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे। संबंधित प्रारूप साथ में संलग्न है। भारत सरकार के निर्देशानुसार जिन संस्थाओं का उक्त खाता पी0एफ0एम0एस0 में पंजीकृत नहीं होगा, उन्हें सत्र–2018–19 में किसी भी दशा में अनुदान अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं होगा। संस्था द्वारा संचालित इकाई स्ववित्तपोषित मान ली जायेगी।

इकाई के संचालन हेतु जिस इकाई के अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है उस इकाई के नये कार्यक्रम अधिकारी के अनुमोदनार्थ पूर्व की भांति प्रस्ताव अविलम्ब कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। जिससे माननीय कुलपति जी से नये कार्यकम अधिकारी का अनुमोदन समय से प्राप्त किया जा सके। अंशकालिक कार्यकम अधिकारियों के अनुमोदन प्रस्ताव विश्वविद्यालय को भेजते समय इस बात का विशेष रुप से ध्यान दिया जाय कि प्रस्ताव में शिक्षकों का नाम वरिष्ठताकम में हो। भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के निर्देशानुसार सभी प्राचार्य एवं अंशकालिक कार्यकम अधिकारी के मोबाइल नम्बर, व्हाट्सऐप नम्बर, ईमेल आईडी अनिवार्य रुप से संलग्न प्रारुप पर कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कार्यकम की सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराई जा सके।

राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत सामान्य कार्यकम (एक दिवसीय) स्वयंसेवको की सूची भारत सरकार के निर्देशानुसार ई–मेल (1)एन0एस0प्रकोष्ठ उ0प्र0शासन लखनऊ (**sloup.nss@gmail.com**), **(2)** क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, केन्द्रीय भवन, लखनऊ (**nssrclucknow@gmail.com**),(3) विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना (nssvbspu.jnp@gmail.com) पर कम्प्यूटर पर अग्रेंजी में एक्सल सीट में 17 कालम का डाटा फीड कराकर बिना हस्ताक्षर मुहर के सीधा मेल करना सुनिश्चित किया जाय, तथा पूर्व की भांति संलग्न प्रारूप के अनुसार सामान्य एवं विशेष शिविर की सूची प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित टंकित प्रति विश्वविद्यालय कार्यालय में अनिवार्य रुप से जमा की जाय।

सामान्य/विशेष शिविर आयोजन की प्रस्तावित तिथियों की सूची

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत चार एक दिवसीय सामान्य शिविर आयोजन हेतु प्रस्तावित तिथियां निम्नवत हैं:–

1.	राष्ट्रीय युवा दिवस	12 जनवरी	8.	रविवार	03मार्च
2.	राष्ट्रीय युवा सप्ताह	12–19 जनवरी	9.	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस	08मार्च
3.	मतदाता दिवस	25 जनवरी	10.	रविवार	10मार्च
4.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	11.	रविवार	17मार्च
5.	रविवार	10फरवरी	12.	विश्व वन दिवस	21 मार्च
6.	रविवार	17फरवरी	13	रविवार	24मार्च
7.	रविवार	24 फरवरी	14	रविवार	31मार्च

उक्त प्रस्तावित तिथियों में पूर्व निर्देशानुसार जिन महाविद्यालयों के छात्र कमांकः 01 से 04 तक के कार्यक्रमों में प्रतिभाग किये होगे और उसकी रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ वार्षिक रिपोर्ट में दी जायेगी उन्ही का एक दिवसीय शिविर मान्य होगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत एक सात दिवसीय विशेष शिविर आयोजन हेतु (मुख्य परीक्षा–2019 को दृष्टगत रखते हुए) प्रस्तावित तिथियां निम्नवत हैं:–

(1)05 फरवरी 2019 से 11 फरवरी 2019**(2)**15 फरवरी 2019 से 21 फरवरी 2019**(3)**21 फरवरी 2019 से 27 फारवरी 2019

.....3/

विशेष शिविर आयोजन की सूचना, शिविर आयोजन से 15 दिन पूर्व पंजीकृत (रजिस्टर्ड) डाक से प्रारूप–4 संलग्न करते हुए निम्न पते पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा शासन द्वारा विशेष शिविर के आयोजन को मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी तथा भविष्य में इकाई निरस्त कर दी जायेगी।

(क) कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर। **(ख)** क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0–1,सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ। **(ग)** विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (रा0से0यो0को0) विभाग, बहुखण्डी भवन, उ0प्र0शासन, लखनऊ। **(घ)** क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी। **(ड़)** कार्यक्रम समन्वयक(रा0से0यो0), वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर। **(च)** संबंधित जिलाधिकारी। **(छ)** संबंधित पुलिस अधीक्षक। **(ज)** संबंधित थानाध्यक्ष। **(झ)** संबंधित खण्ड विकास अधिकारी। **(ञ)** शिविर आयोजन स्थल से संबंधित गांव के ग्राम प्रधान एवं प्राथमिक/पूर्व मा0 विद्यालय के प्रधानाचार्य।

भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाईयों की गतिविधि की मासिक रिपोर्ट उक्त ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाईयों को भविष्य में निरस्त कर दिया जायेगा।

इकाईयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के पश्चात 15 दिन के भीतर इकाईवार शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट स्पाईरल वाइडिंग में कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 02 पृष्ठ (7 X 2=14पृष्ठ), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटोग्राफ व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ (X 7) संलग्न होनी चाहिए एवं वर्ष भर किये गये नियमित कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट (कम से कम 08 पृष्ठों की फोटो सहित) बांइड कापी कार्यक्रम समन्वयक को व साफ्ट कापी शासन व कार्यक्रम समन्वयक दो लोगों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ–साथ सत्र–2018–19 में प्राप्त अनुदान सामान्य व विशेष शिविर निर्धारित प्रारूप पर अलग–अलग तथा वार्षिक आख्या एवं आगामी सत्र हेतु इकाई के नवीनिकरण (आवंटन प्रस्ताव) भी साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिससे आगामी सत्र 2019–20 में इकाई आवंटन की कार्यवाही समयान्तर्गत किया जा सके।

संलग्नक–समस्त जमा किये जाने सम्बन्धी प्रारूप।

भवदीय

(राकेश कुमार यादव)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपि:

1. माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ, निजी सचिव माननीय कुलपति जी।
2. डॉ0 अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (रा0से0यो0को0) विभाग, बहुखण्डी भवन, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. डॉ0 अशोक कुमार श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0–1, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. वित अधिकारी, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5. श्री के0एल0सेठ, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, सम्परीक्षा कार्यालय, जौनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संबंधित पत्र, प्रारूप विश्वविद्यालय के वेवसाईट पर (एन0एस0एस0पोर्टल पर) अपलोड करने का कष्ट करें।

(राकेश कुमार यादव)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना